न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 26/2013

जीसीएमएस नम्बर :– 2013/00063

अनवान

1. रूकमणी पत्नि पन्ना लाल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादिया

बनाम

1. कमला पुत्री पन्नालाल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बदामी पुत्री गोकल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देवीलाल पिता गोपीलाल ना.बा. माता जमनी बेवा गोपीलाल जाट नि. गल्यावड़ी तह. रायपुर
4. माधुलाल पिता गोपीलाल ना.बा. माता जमनी बेवा गोपीलाल जाट नि. गल्यावड़ी तह. रायपुर
5. जमनी बेवा गोपीलाल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शोभालाल पिता गोकल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मगनीराम पिता गोकल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मांगीलाल पिता चम्पालाल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. नारायण पिता घीसा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. भोलीराम पिता घीसा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गणेश पिता घीसा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. पारसमल पिता छोगा गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर मृतक के बजाय

12/1 कन्हैयालाल पिता पारस गुर्जर ना.बा.जरिये माता देउ बेवा पारस गुर्जर निवासी गल्यावड़ी

12/2 कंकुदेवी पत्नि मगनीराम जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

13. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
14. उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश चन्द टेलर – अधिवक्ता वादीगण
2. महेन्द्र सिंह चुण्डावत – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 06.10.2025

1. प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गल्यावड़ी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगरयत 13 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 1008 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 1014 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी संवत 2066 से 2069

सहायक कलक्टर

साथ प्रस्तुत की है। उक्त आराजियात में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 4/9 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजियात में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 4/9 हिस्सा है। शेष प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 13 का जमाबन्दी में अंकन अनुसार हिस्सा है लेकिन भूमिया सामलाती खाते में दर्ज होकर संयुक्त कब्जे में है। इनका विधिवत् विभाजन नही हुआ है।

2. उक्त वर्णित आराजियात ग्राम रायपुर से गल्यावड़ी जाने वाली सड़क से लगी हुई है जिससें प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 13 के मन में लोभ व बदनियती आ गई है। हर कोई सड़क की तरफ कब्जा जमाना चाहता है ताकि कीमती भूमि को अपने आधिपत्य में ले सके और उसका अनुचित एवं गैर कानुनी लाभ प्राप्त कर सके। जबकि कानूनन संयुक्त खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे की भूमि पर किसी एक सह खातेदार को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। साथ भूमि विशेष को बेचने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। फिर भी गैर कानुनी तरीके से प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 13 भूमि को अन्य को हस्तान्तरित करने और उन्हे गलत जगह बिठाकर नाजायज लाभ प्राप्त करने पर आमादा है और बिना विभाजन लाठी के बल पर कीमती भाग पर अपना कब्जा जमा दूसरों को अपने हक से मेहरुम करना चाहते है। इसी गरज से दिनांक 21.03.2013 को प्रतिवादियां मु० ककु व जमनी व अन्य प्रतिवादीगण ने मिलकर सडक की तरफ गैर कानुनी तरीके से नीवें खोदना प्रारम्भ कर दिया और निर्माण करना चाहते है जिनका उनको कोई अधिकार नही है। जमनी व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार अवैध रुप से नीव खोदने पर वादियां ने एतराज किया तो गाली गलोच करने लग गये व लाठी के बल पर कब्जा जमाने की धमकी दी। इसलिए वाद पेश करने पर विवश होना पड़ा है।

3. अतः वादिया की सादर प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी फरमाई जाए कि ग्राम गल्यावडी तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1008 रकबा 0.30 है0 एवं आराजी संख्या 1014 रकबा 0.31 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.61 है0 पर बिना विधिवत विभाजन हुए प्रतिवादीगण कोई निर्माण नहीं करे, भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं करें। हिस्सा विशेष किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करे तथा प्रतिवादीगण संख्या 15 प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 13 द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजियन नही करे।

4. प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 सम्यक तामील होने के बावजुद उपस्थित नही होने से दिनांक 01.05.2013 को एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 व 13 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत उपस्थित जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 15 औपचारिक पक्षकार है।

5. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 सही होकर स्वीकार है। वादवर्णित आराजियात में वादीया अपना हिस्सा स्वयं साबित करावे। उक्त वर्णित आराजियात पर वादीया का कोई कब्जा नहीं है और कब्जे के अभाव में वादीया का वाद खारिज योग्य है। वाद वर्णित आराजियात में वादीया का राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सा अवश्य

सहायक कलक्टर

दर्ज है लेकिन वादीया का वादवर्णित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा और कब्जे के अभाव में मौजूदा वाद चलने योग्य नही है। वादीया को कब्जेयावी हेतु वादपत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। कानूनन भी खातेदारान के विरूद्ध निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। वादवर्णित आराजियात का रायपुर से गल्यावडी जाने वाली सडक से लगी हुई होना स्वीकार है। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण के बाडे बने हुए है। उक्त वर्णित आराजीयात के किसी भी भाग पर वादीया का कब्जा नहीं है इसलिए वादीया को उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वाद वादीया इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा वादवर्णित आराजीयात पर नवीन रूप से कोई निर्माण नहीं करवाया जा रहा है बल्कि वर्षों पूर्व लगभग 13 वर्ष पूर्व से ही प्रतिवादीगण ने वादवर्णित आराजियात पर बाड़ो का निर्माण किया हुआ है जिसमें प्रतिवादीगण अलग–अलग काबिज होकर अपने बाड़ो में मवेशी बांधते है। काउन्टर क्लेम के रूप निवेदन किया कि वादवर्णित आराजी सख्या 1008 रकबा 0.30 हैक्टेयर व आराजी संख्या 1014 रकबा 0.31 हेक्टेयर पर वादीया का कभी भी कब्जा नहीं रहा इसलिए कब्जे के अभाव में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजूदा वाव पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वाद वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण के बाडे बने हुए है जिनके चारों तरफ पक्की दिवारे व थोहरों की बाड़ बनी हुई है। उक्त बाड़ों में प्रतिवादीगण के मवेशी बंधते है तथा घास. कृषि उपकरण व पकी हुई फसल आदि रखी जाती है। वादवर्णित आराजीयात पर वादीया का आधिपत्य नहीं होने से यादीया आये दिन प्रतिवादीगण के बाड़ों में दखलअन्दाजी करती है। दीवारों को तोडने का व थोहरों को काटने का प्रयास करती है और धमकी देती है कि कभी भी मौका पाकर बाडों की दिवारों को तुडवा देगी व थोहरों की बाड को कटवा देगी व बाड़ों में आग लगा देगी। इसी उद्धेश्य से वादीया ने दिनांक 30.11.2017 को भी प्रतिवादीगण के बाड़ों की दीवारों को तोडने का प्रयास किया व धोहरों की बाड को काटने का प्रयास किया। जिससे प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम के माध्यम से वादीया के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस सबब यह काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रमाण मे मौके के फोटोग्राफ्स पेश हैं। अतः निवेदन है कि काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादिया के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादिया वादवर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण के बनाये हुए बाड़ों की दिवारों को नहीं तुडवावें, थोहरों की बाड को नहीं कटवावें और जवाबदाता प्रतिवादीगण के शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की वाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें, ना हीं औरों से करावें।

6. वादपत्र व जवावदावे के आधार पर वाद में तनकी कायम की गई जो इस प्रकार है –

1. यह कि वादवर्णित आराजियात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की सामलाती होकर संयुक्त कब्जे मे है तथा इनका विधिवत विभाजन नही हुआ है। जिम्मे वादिया
2. यह कि वादवर्णित आराजियात ग्राम रायपुर से गल्यावड़ी जाने वाली सड़क से लगती हुई है प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 13 सड़क की तरफ अनुचित कब्जा करना चा रहे है तथा अन्य को स्थानान्तरित करके गलत जगह विठा कर नाजायज लाभ प्राप्त करने पर आमादा है।

जिम्मे वादिया

सहायक कलक्टर

3. यह कि प्रतिवादी, वादी संख्या 5 व 13 सड़क की तरफ दिनांक 21.03.2013 को नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया जिनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। जिम्मे वादिया

4. यह कि आया वादिया स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के विरूद्व प्राप्त करने की अधिकारिणी है। जिम्मे वादिया

5. यह कि आया वादिया का वादवर्णित आराजियात पर कब्जा नही है जिससे कब्जे के अभाव में वादिया वादवर्णित आराजियात में अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13

6. यह कि वादवर्णित आराजियात पर प्रतिवादीगण के बाड़े बने हुए है। वादिया का किसी भी भाग पर कब्जा नही है जिससे वादिया कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13

7. यह कि वादवर्णित आराजियात पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई नवीन निर्माण नही करवाया जा रहा है। बलकि 13 वर्ष पूर्व से ही बाड़ो का निर्माण किया हुआ है जिससे प्रतिवादीगण मवेशी, घास, कृषि उपकरण रखते है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13

8. आया काउन्टर क्लेम के पैरा संख्या 1 व 2 में अंकित अभिवभन के आधार पर प्रतिवादीगण वादिया के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13

9. अनुतोष ?

7. प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रस्तुत करने हेतु वादिया अधिवक्ता को बार–बार अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से दिनांक 30.01.2025 को साक्ष्य बन्द किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी के लिए प्रतिवादी अधिवक्ता को बार–बार अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 18.09.2025 को बन्द किया गया।

8. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा बार–बार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये जिससे साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाना विधि सम्मत है।

आदेश

अतः वादिया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की अन्तर्गत धारा 188 के तहत् प्रस्तुत वादपत्र में साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर सुनाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

करूणा लाड़ोती
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा